

FP/UP/ROAD/150997/2022

भाग-iv

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वनविभाग द्वारा भरा जाना है।)

17-	टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।	CCF, नानपुल नोडल होंगे CCF, वन विभाग (आश्चर्य) नानपुलकी संस्तुति
	राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक द्वारा द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।)	के आधार पर स्वीकृतार्थ संस्तुति की जाती हैं।

दिनांक - 24/8/22

स्थान-.....

हस्ताक्षर

नाम-

सरकारी मोहर

Anupam Gupta
Chief Conservator of Forests/Joint Officer
Forest Conservation Act, 1980
U.P. Lucknow